

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी

सकाराम पुत्र रूपाराम जाति गुरु  
निवासी करनवा तहसील बाली


बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/364  
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08 <sup>67</sup> / <sub>25</sub>	<p>वकील प्रार्थी श्री रामलाल उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर राजस्व रेकर्ड में ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी के खाता संख्या 1362 में त्रुटिपूर्ण नाम सुखदेव पुत्र रूपा के स्थान पर सकाराम पुत्र रूपा किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड प्रति, मतदाता पहचान पत्र प्रति, राशन कार्ड प्रति, बैंक डायरी प्रति, जनआधार प्रति पेश की। अप्रार्थी राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय को सुनने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी के खाता संख्या 1362 में त्रुटिपूर्ण नाम सुखदेव पुत्र रूपा के स्थान पर सही नाम सकाराम उर्फ सुखदेव पुत्र रूपा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेवाडी आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली